रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-20082025-265534
CG-DL-W-20082025-265534

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 27] नई दिल्ली, अगस्त 3—अगस्त 9, 2025, शनिवार/ श्रावण 12—श्रावण 18, 1947

No. 27] NEW DELHI, AUGUST 3— AUGUST 9, 2025, SATURDAY/SHRAVANA 12— SHRAVANA 18, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 120.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय में सहायक निदेशक(आयुध), ज्येष्ठ क्षेत्र अधिकारी(आयुध) तथा क्षेत्र अधिकारी (आयुध) के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल समूह 'क' और समूह 'ख' पद (गैर-लड़ाकू) आयुध काडर भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grade from which promotion or deputation / absorption to be made.
(11)
Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administrations or autonomous bodies or statutory organisations or public sector undertakings or recognised universities or recognised research institutions: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) in the parent cadre or department; and (b) possessing a Master degree in Physiotherapy in any branch from a recognised university or institute with three years practical experience of holding clinical post in at least a fifty bedded recognised hospital. **Note 1:** The Departmental Deputy Chief Physiotherapist in level-11 in the pay matrix with five years regular service in the grade and possessing educational qualifications and experience prescribed for considering appointment on deputation basis shall also be considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post, the post shall be deemed to have been filled by promotion, otherwise, it will be treated as having been filled on deputation (including- short-term contract). **Note 2:** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same of some other organisation or department of the Central Government shall not be exceeding three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of application.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	**(13)**
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for consideration of promotion) consisting of: 1. Additional Directorate General of Health Services (concerned) Directorate General of Health Services -Chairperson; 2. Deputy Director General (Planning), Directorate General of Health Services -Member; 3. Head of Department (concerned), Dr. Ram Manohar Lohia Hospital -Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A.12018/03/2024-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 124.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सफदरजंग अस्पताल, ज्येष्ठ ऑप्टोमेट्रिस्ट (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2015 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में वरिष्ठ नेत्रोपचार विशेषज्ञ के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, वरिष्ठ नेत्रोपचार विशेषज्ञ (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.- वह व्यक्ति-

(ग) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(घ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.-जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पद की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन या अचयन पद।**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वरिष्ठ नेत्रोपचार विशेषज्ञ	1* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रुपये/-)	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(11)	**(12)**	**(13)**
प्रोन्नतिः नेत्रोपचार विशेषज्ञ, जिसने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6(35400-112400/-रुपये) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से नेत्रोपचार विज्ञान में दो सप्ताह का प्रशिक्षण अथवा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा यथाविहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है । **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इसमें जो भी कम हो, कम न हो तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर संगठनों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी: (क)(i)जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii)ऐसे अधिकारी जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400/-रुपये) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों: (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से विज्ञान में बारहवीं पास; (ii)किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ऑप्टोमेट्री में (चार वर्ष की अवधि) की डिग्री; (iii) किसी सरकारी अस्पताल या रिसर्च संस्था में ऑप्टोमेट्रिस्ट के रूप में एक वर्ष कार्य करने का अनुभव। **टिप्पण-1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी- 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल -अध्यक्ष; 2. संबंधित विभागाध्यक्ष, सफदरजंग अस्पताल -सदस्य; 3. संबंधित उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य; 4. उप निदेशक प्रशाशन, सफदरजंग अस्पताल -सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. ए.11018/50/2021-एमएच-II]

अभिषेक पाण्डेय, अवर सचिव

New Delhi, the 25th July, 2025

G.S.R. 124.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, New Delhi Senior Optometrist (Group B Post) Recruitment, Rules, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Optometrist in the Safdarjung Hospital, New Delhi, under the Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, New Delhi, Senior Optometrist, (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2025.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. -The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification. - No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;

   or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Senior Optometrist.	*01 (2025) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption is to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation (including short term contract).	Promotion: Optometrist with five years of regular service in level-6 (Rs. 35400 - 112400) in the pay matrix and who have successfully completed two weeks training in Optometry from a recognised Institute or as prescribed by the Department. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short term contract): Officers of	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital -Chairperson; 2. Head of the Department (Concerned), Safdarjung Hospital -Member; 3. Deputy Director, (Concerned), in Directorate General of Health Services -Member;	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

			the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or autonomous or statutory organizations or public sector undertakings or recognised universities or recognised research institutions: - a. (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualification and experience, namely: (i) 12th class pass in Science from a recognised Board; (ii) Degree in Optometry (four-year duration) from a recognised University or Institute; and (iii) Two years working experience in optometry from a recognised Government hospital or research institute. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	4. Deputy Director Administration, Safdarjung Hospital -Member.	

			Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. A.11018/50/2021-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy..

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 125.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, बहुकार्यकर्मचारिवृंद, समूह "ग" पद भर्ती नियम, 2016 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया हैं या करने का लोप किया गया हैं, जल शक्ति मंत्रालय के अधीन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय भूजल बोर्ड में बहुकार्यकर्मचारिवृंद के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केंद्रीय भूजल बोर्ड, बहुकार्यकर्मचारिवृंद (समूह 'ग' पद), भर्ती विनियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वह होगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट है।